तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/10303/2003/जोधपुर महेशपुरी बनाम सुराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित–
श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री वाई.डी.शर्मा व श्री आर.पी.शर्मा, अधिवक्तागण, अप्रार्थीगण

निर्णय
दिनांकः– 06–02–2020

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–02–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेश द्वारा न्यायालय ने विचाराधीन अपील को अस्वीकार कर ग्राम पंचायत माणकलाव द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–09–2002 की पुष्टि की गई है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचाराधीन अपील को अस्वीकार कर तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता खोलने का आदेश देने में त्रुटि की है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत के समक्ष मामले में प्रथम 45 दिवस तक ग्राम पंचायत को कार्यवाही किए जाना प्रावधित है, जबकि उक्त समयावधि में ऐसे प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने की स्थिति में ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/10303/2003/जोधपुर महेशपुरी बनाम सुराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। यहीं नहीं ग्राम पंचायत द्वारा की गयी कार्यवाही में प्रार्थी को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि मामले में वांछित मौका फर्द से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के लिए रास्ता गोकुल जाट वगैरा के खेतों में से होकर जाने का है। इस प्रकार जहां वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहां पर नये रास्ते का कोई प्रावधान नहीं है। ग्राम पंचायत ने उक्त फर्द मौका नहीं मानने का कोई कारण अंकित नहीं किया। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मामले में की गयी समस्त कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-02-2003 एवं ग्राम पंचायत माणकलाव का आदेश दिनांक 24-09-2002 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मामले में की गयी कार्यवाही का समर्थन किया तथा कहा कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश विधि सम्मत उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर पारित किया है, जिसमें किसी विधि का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। आगे बताया कि आक्षेपित आदेश प्रकरण की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा उपलब्ध रेकार्ड का विधिवत परीक्षण भी किया गया है, जिसको अन्यथा सिद्ध करने बाबत प्रार्थी ने किन्हीं तथ्यों को प्रकट नहीं किया है। अतएवं आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है। अन्त में उन्होंने निगरानी खारिज कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित आदेश व उपलब्ध रेकार्ड	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/10303/2003/जोधपुर महेशपुरी बनाम सुराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का अवलोकन किया। मामले में ग्राम पंचायत माणकलाव द्वारा दिनांक 16-08-2002 को फर्द मौका तैयार किया गया है, जिसका सुसंगत भाग निम्नानुसार हैः- **''आज सरपंच की उपस्थिति में खसरा संख्या 22 व 22/1 व 19 का मौका निरीक्षण किया गया प्रार्थी सुराराम के प्रार्थनानुसार खसरा संख्या 19 में से होकर खसरा संख्या 22 व 22/1 में जो रास्ता बना हुआ है जिस पर कृषि कार्य करने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जाता था उस रास्ते को वर्तमान में खसरा संख्या 19 के खातेदार द्वारा मौके पर बंद होना पाया गया, जबकि मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा खातेदार सुराराम के अन्य आने जाने का रास्ता नहीं होना पाया गया तथा एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 19 में से होकर ही आना जाना हेतु मौके पर निशानात पाये गये जो भी बंद है''।** उक्त फर्द के अनुसार अप्रार्थी को अपनी कृषि जोत हेतु आवागमन हेतु रास्ते का अभाव है तथा पूर्व में चालू रास्ते के अवशेष मौजूद है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में मामले में ग्राम पंचायत व जिला कलक्टर द्वारा ने जो आदेश पारित किए है, जिनमें किया गया निष्कर्ष उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत होना प्रकट नहीं होता है। हमारे मतानुसार आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुती की गयी निगरानी स्वतः ही सारहीन होना प्रकट होती है। प्रार्थी का आक्षेप है कि ग्राम पंचायत की कार्यवाही में उसे सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस बाबत मामलें में तैयार की गई फर्द मौका में वार्ड पंच व मौतबिरान के समक्ष तैयार किए जाने के अंकन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आक्षेप निराधार पाया जाता है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि निगरानी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/10303/2003/जोधपुर महेशपुरी बनाम सुराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का दायरा अत्यन्त सीमित होता है तथा निगरानी के द्वारा निगराधीन निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जाता है, जबकि पारित निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया हो। हस्तगत मामले में आक्षेपित आदेशिका विधिनुरूप पारित किए जाने के कारण उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि प्रार्थी ने निगरानी मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जाता है तथा जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-02-2003 को यथावत रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/10303/2003/जोधपुर महेशपुरी बनाम सुराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए